आई-19/50/2022-डब्ल्यूएंडएम अनुभाग – भाग (2)(ई-39458)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
(बाट और माप अनुभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 21.05.2026

सेवा में,

विधिक मापविज्ञान नियंत्रक,
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषय: नीति आयोग द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति की गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्शी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर नीति आयोग द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति ने विधिक मापविज्ञान ढांचे के तहत मरम्मत करने वालों के कामकाज तथा बाट और माप के सत्यापन तंत्र को मजबूत करने से संबंधित कुछ सिफारिशें की हैं।

2. व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम करने, विनियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करने और एक अधिक सुव्यवस्थित कार्यान्वयन ढाँचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से अनुरोध है कि वे विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करते समय निम्नलिखित उपायों पर विचार करें:

(i) **मरम्मत करने वालों के लिए योग्यता की शर्तें:** राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, एकरूपता और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ मरम्मत करने वालों के लिए उपयुक्त पात्रता शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा करते समय वे तकनीकी क्षमता, आवश्यक औजारों और अवसंरचना की उपलब्धता, अनुभव, जनशक्ति और कुशल कामकाज तथा विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानी जाने वाली किसी भी अन्य शर्त जैसे कारकों को ध्यान में रख सकते हैं।

(ii) **मरम्मत करने वालों के पंजीकरण और निरंतरता के लिए शर्तें:** राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन मरम्मत करने वालों के पंजीकरण की मंजूरी देने या जारी रखने के लिए उपयुक्त शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, जो ऐसी सत्यापन प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन हों, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(iii) **मौजूदा मरम्मत करने वालों की निरंतरता:** मौजूदा लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत मरम्मतकर्ताओं को वैध मरम्मतकर्ता के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, और उन्हें केवल संशोधित प्रक्रियाओं, पात्रता की बदली हुई शर्तों या विनियामक आवश्यकताओं में बदलाव के आधार पर नए पंजीकरण की शर्तों के अधीन नहीं किया जाएगा।

(iv) **सत्यापन तंत्र के लिए जोखिम-आधारित चयन के माध्यम से अनुपालन बोझ में कमी:** चूंकि बाट और माप की सभी श्रेणियों का समय-समय पर सत्यापन करने से विनिर्माताओं, उपयोगकर्ताओं और विनियामक प्राधिकरणों पर अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन सत्यापन के लिए बाट और माप के एक निर्धारित प्रतिशत के चयन हेतु एक यादृच्छिक, जोखिम-आधारित और कंप्यूटर-सहायता प्राप्त तंत्र शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। यह चयन जोखिम प्रोफ़ाइल, अनुपालन इतिहास और संबंधित राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उपयुक्त माने गए अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हो सकता है।

3. उपरोक्त उपायों का कार्यान्वयन उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा बाट और माप की अखंडता, विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

आशुतोष अग्रवाल

(आशुतोष अग्रवाल)
निदेशक (विधिक मापविज्ञान)
दूरभाष: 01123389489
ई-मेल: dirwm-ca@nic.in

(**टिप्पणी**: अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों में किसी भी तरह का अंतर होने पर, अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।)